मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 22/07/2025

क्र. IPI/5/0018/2024/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा. लि. द्वारा ग्राम सगराना, तहसील व जिला नीमच में लगभग रुपये 2042 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश (पुनरीक्षित रु. 3071.87 करोड़) से क्लिंकर एवं सीमेंट निर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2401090001) पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता- उद्योग संवर्धन नीति 2025 अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता पात्र अस्तियों में किये गये निवेश पर नीतिगत शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को अन्य गणकों का लाभ पात्रतानुसार पृथक से प्राप्त होगा।

2. विद्युत टैरिफ में रियायत- परियोजना हेतु नवीन विद्युत संयोजन अथवा विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु रूपये 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. विद्युत शुल्क से छूट- परियोजना हेतु नवीन विद्युत संयोजन अथवा विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार तथा वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम (WHRS) द्वारा उत्पादित विद्युत पर देय विद्युत शुल्क से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु छूट प्रदान की जाये।

4. पुलिस चौकी की व्यवस्था- कंपनी द्वारा परियोजना स्थल तथा परियोजना स्थल के निकट पुलिस चौकी की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि एवं अधोसंरचना प्रदान किये जाने पर गृह विभाग द्वारा प्रचलित नीति/नियम अनुसार कार्यवाही की जाये।

5. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2025 अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

निरंतर.........

7. स्वीकृत समस्त सुविधाओं का लाभ इकाई द्वारा प्रतिबद्ध निवेश के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत निर्धारित समय-सीमा में एमपीआईडीसी को आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगा।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है ।

9. यह आदेश निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 01/07/2025 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(राघवेन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0018/2024 /ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 22/07/2025

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, श्रम विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
4. कलेक्टर, जिला- नीमच।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिगनेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा. लि. Shaligram Corporates, 5th Floor, B/h Dishman House, Iscon- Ambli Road, Ahemdabad-380058.

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग